




फर्द अहकाम

रांगीता वर्क बनाम कैलाश नारायण वर्क

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमशारामपुर, जमुशुट
 केस संख्या 125/2022 मुक: इफ 25/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	22/11/22	<p>मह प्रार्थना पत्र जार्वीगण की नोटिस 150 श्री हरीश कुमार शर्मा ने पेश किया। वकील जार्वीगण को अनारिज पर एकतरफा सुना गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का मूल्यांकन करने पर एकल पक्षम दृष्ट्य सुदृढ़ एवं सुविधा का संतुलन जार्वीगणों के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगणों को जारिमे अनारिज आर्वाड निषेधाज्ञासे आगामी पेशी तक पाबंद किया जाता है कि शक्ति खसत नम्बर 26/3, 288, 289, 26/1 वाले ग्रास नेवर में जार्वीगण के एक हिस्से की शक्ति में उपयोग-उपभोग में किसी प्रकार की शकल अन्दाजी, छेजामपादत धरन वेदावल नही करे, जोके व राजस्य रिकार्ड की प्रथान्धिनि बनामे रखे। प्रार्थना पत्र रजि रजिस्टर होकर नोटिस अप्रार्थीगणों को जारी होकर तलकी रजि डोक से करवाड जाकर पत्रावली दिनांक 05/10/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी जमशारामपुर </p>	
5/11/23		<p>पत्रावली पेश हुई। <u>पत्रावली 3/11/23</u> पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलकी/अपार दिनांक <u>14/2/23</u> को पेश है</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी जमशारामपुर </p>	
14/2/23		<p>पत्रावली पेश हुई। <u>पत्रावली 18/1/23</u> पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलकी/अपार दिनांक <u>18/1/23</u></p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी जमशारामपुर </p>	

